

MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII

SUBJECT CODE : 598

Q. NO	EXPECTED ANSWER/VALUE POINTS	MARKS
1	पदोन्नति	1
2	कदाचार एवं अक्षमता	1
3	राजस्थान	1
4	राष्ट्रपति	1
5	तीन	1
6	राष्ट्रपति	1
7	सरकार के नियन्त्रण का अभाव	1
8	प्रशिक्षण	1
9	6 वर्ष	1
10	संघात्मक शासन प्रणाली	1
11	रॉबर्ट स्टाल	1
12	1927	1
13	कार्यकुशलता में वृद्धि	1
14	कार्यपालिका	1
15	5 वर्ष	1
16	1 वर्ष	1
17	लैटिन भाषा के	1
18	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है	1
19	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है	1
20	A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R नहीं है	1
21	स्थायी कार्यपालिका कुछ शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता के आधार पर एक लम्बी अवधि के लिए नियुक्ति की जाती है। इसमें नौकरशाही तथा अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं।	2
22	28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश	2
23	न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायपालिका के सस अधिकार से है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संविधान के आधार पर कार्यपालिका एवं विधानपालिका के उन कार्यों व कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कि न्यायालय के विचार में संविधान अथवा उसमें निहित व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं।	2
24	जो विभाग किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं उन्हें एकात्मक विभाग कहते हैं।	2
25	अंग्रेजी के कारपोरेशन (CORPORATION) शब्द का हिंदी रूपांतरण है - "निगम"। हिंदी में निगम का शब्दार्थ है, " निरंतर चलता रहने वाला व्यापारिक संगठन।"	2
26	1. कार्यकुशलता में अभिवृद्धि। 2. योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति सुलभ।	1 1

27	सरकारी विभागों में जब रिक्त स्थानों को बाहरी योग्य उम्मीदवारों से भरा जाता है तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। जो लोग पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं, उनको रिक्त स्थानों पर भर्ती नहीं किया जाता।	2
28	1 यह विधि अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि पहले से सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को ही अवसर मिलता है। 2 इसके द्वारा योग्य तथा युवा उम्मीदवारों को प्रवेश से रोका जाता है।	1 1
29	विभाग मुख्य कार्यपालक के तत्काल अधीन वह इकाई है जिसे कोई विशेष उतरदायित्व सौंपा जाता है।	2
30	संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख अवगुण निम्नलिखित हैं- 1 पेपर लीक होना :- यह देखने में आया है कि लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हो जाते हैं और आयोगों की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 2 सदस्यों की गिरती साख :- आयोग के सदस्य राजनितिक दबाव या व्यक्तिगत स्वार्थों से कार्य करते हैं। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता के गुण सदस्यों में लुप्त होते जा रहे हैं। 3 नियुक्ति में देरी :-आयोग नियुक्ति करने में अनावश्यक देरी करते हैं। सामान्यतया अधिक समय आयोग द्वारा लिया जाता है जिससे चुने गए उम्मीदवार अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। 4 प्रमाणीकरण का कठिन तरीका :- आयोग द्वारा सभी विषयों में समानता लाने के लिए प्रमाणीकरण जो तरीका अपनाया जाता है यह भेदभावपूर्ण और अत्यंत कठिन है।	1 1 1 1
31	1. वह गणना परीक्षक के रूप में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है। 2. संघ और राज्यों की सरकारों के उधर लाभ शेष धन संबंधी बातों का परीक्षण करता है। 3. वह वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राज्य तथा केंद्र की सरकारों को आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रदान करता है। 4. वह सरकारी निगमों, अर्ध सरकारी उद्यमों व्यापारी उद्यमों युद्ध में तथा एवं लोक उद्यमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने में सरकार एवं संसद की सहायता करता है।	1 1 1 1
32	संसद बजट पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण रखती है - 1. सरकार संसद के स्वीकृति के बिना कोई टैक्स नहीं लगा सकती। 2. वित् विधेयक पर संसद की स्वीकृति ली जाती है। 3. संसद को वित्तीय प्रशासन संबंधी अनियमितता के बारे में जाँच-पड़ताल करने की शक्ति प्राप्त है। 4. विनियोग विधेयक पर संसद की स्वीकृत अनिवार्य है। 5. संसद कि स्वीकृति के बिना सरकार संचित निधि से तथा आकस्मिक निधि से धन नहीं निकल सकती। 6. पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान पुनर्विनियोग अनुदान जैसी मांगों पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। 7. संसद नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से नियंत्रण रखती है।	4

33	<p>1. पद की अवधि :- न्यायाधीशों को प्रलोभनों तथा पक्षपात से दूर रखने के लिए उनका कार्यकाल लम्बा रखा जाता है ।</p> <p>2. पद से हटाना :- न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से ण हटाया जा सके । पूरी छानबीन के बाद ही एक विशेष विधि द्वारा उन्हें हटाया जाना चाहिए ।</p> <p>3. अच्छा वेतन :- न्यायाधीशों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए ,जिससे वे अपना आर्थिक स्तर स्थापित कर सके ।</p> <p>4. योग्यता के आधार पर नियुक्ति :-न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उनके ज्ञान,बुद्धि तथा योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए ।</p>	1 1 1 1
34	<p>लोक निगम के गुण इस प्रकार से हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लोक निगम का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह किसी सीमा तक स्वतंत्र है यह अपने कार्य संचालन में सरकारी विभागों की तरह नियमों ,जटिल , प्रक्रियाओं और लालफीताशाही आदि में जकड़े नहीं होता है , अतः इनमें लोचशीलता बनी रहती है । 2. लोक निगम में व्यक्तिगत प्रशासन जैसी प्रबन्ध ,संगठन और प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण कार्यकुशलता में वृद्धि होती है । 3. लोक निगम के कारण आर्थिक क्षेत्र में दक्षता एवं मितव्ययता उत्पन्न होती है । 4. लोक निगम की स्थापना सिर्फ मुनाफे के लिए न होकर क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विकाश के लिए की जाती है जिसका स्वाभाविक परिणाम जनसेवा है । 	1 1 1 1
35	<p>1. केंद्रीय सरकार की दुर्बलता - शक्तियों का बंटवारा हो जाने से यह सरकार बहुत कमजोर पड़ जाती है ।</p> <p>2. प्रशासनिक एकरूपता का अभाव:- देश भर में दोहरी सरकारी दोहरे कानून तथा दोहरी न्याय व्यवस्था होने के कारण प्रशासनिक एकरूपता नहीं रहती है ।</p> <p>3. केंद्र और राज्यों के बीच विवाद:- संघ सरकार में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है फिर भी भविष्य में कई विवाद पैदा होने की संभावना बनी रहती है ।</p> <p>4. अधिक खर्चीली व्यवस्था:- यह व्यवस्था बहुत अधिक होती है ।</p>	1 1 1 1
36	<p>राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद में निम्नलिखित प्रकार से संबंध पाए जाते हैं:-</p> <p>राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद की रचना :- राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो होता है,लेकिन जब किसी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है । अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है । मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप करता है ।</p> <p>राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद की सलाह :- संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करता है । 42 वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है ।</p> <p>प्रशासन के लिए राष्ट्रपति नहीं, मंत्री परिषद उत्तरदायी :- यद्यपि संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं लेकिन देश के प्रशासन के लिए संसदात्मक व्यवस्था होने के नाते मंत्री परिषद उत्तरदायी है जिस कारण राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रीपरिषद करती है ।</p>	6

	<p>राष्ट्रपति का मंत्री परिषद को सलाह देने,चेतावनी देने, उत्साहित करने का अधिकार :- राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य की भांति मंत्रीपरिषद को सलाह दे सकता है ,उत्साहित कर सकता है जो मंत्री-परिषद उसकी सलाह की अनदेखी करें, उसे चेतावनी दे सकता है,लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है कि वह मंत्री परिषद को भंग नहीं कर सकता ।</p> <p>राष्ट्रपति का सूचना पाने का अधिकार :-राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के शासन व प्रशासन से संबंधित सूचनाएं मांग सकता है । वास्तव में राष्ट्रपति का सूचना पाने का अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों का वहन करने में सक्षम बनाता है ।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित हैं :-</p> <p>कार्यकारी शक्तियाँ :-देश का संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, प्रधानमंत्री तथा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ,राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना ,संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना ।</p> <p>वित्तीय शक्तियां :- संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही पेश किया जाता है ।संसद में कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता । भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ।वित् आयोग की नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ।</p> <p>विधायी शक्तियां :- संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करना,संसद के अधिवेशन का उद्घाटन और संबोधन करना , दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करना तथा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना,संसद के नाम संदेश भेजना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति ,संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति को प्राप्त है ।</p> <p>न्यायिक शक्तियां:-सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करना ,किसी अपराधी को क्षमादान और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना आदि न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं ।</p> <p>स्वविवेकी शक्तियाँ :- मंत्रिमंडल को किसी मामले पर पुनर्विचार के लिए कहना ।खंडित जनादेश की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना । किसी संवैधानिक व कानूनी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगना ।</p> <p>संकटकालीन शक्तियां :- 1. अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध बाय आक्रमण सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है ।</p> <p>2. अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल होने पर आपातकाल की घोषणा करना ।</p> <p>3. अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है ।</p>	6
37	<p>भारत में पंचायती राजव्यवस्था में मुख्य रूप में समस्याएँ निम्नलिखित हैं :-</p> <p>अनपढ़ता :-स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ता अधिक है जिसके कारण पंचायती राज के उद्देश्य और कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है ।</p> <p>राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप :- पंचायती राज में राजनीतिक दल अपने हित पूर्ति के लिए गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा नहीं होने । इससे पंचायती राज का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और प्रगति भी धीमी हो जाती है ।</p>	6

	<p>धन का अभाव :- पंचायती राज की संस्थाओं की आय के साधन सीमित है, जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि योजनाओं को लागू करने, ग्रामीण जीवन को विकसित करने, उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने में काम नहीं कर पाती।</p> <p>सरकार का अत्यधिक नियंत्रण :- पंचायती राज की संस्थानों पर सरकार बहुत अधिक नियंत्रण रखती है वास्तव में सरकार की भूमिका तो उन्हें सलाह और सहायता देने की होनी चाहिए, आदेश देने की नहीं, परंतु वास्तव में ये संस्थाएं भी सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं और सरकार इन्हें आदेश और निर्देश अधिक देती है।</p> <p>सरकारी कर्मचारियों की भूमिका :- सरकारी कर्मचारियों की भूमिका ने पंचायती राज की प्रगति को धीमा कर रखा है क्योंकि सरकारी कर्मचारी इन संस्थाओं को स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने देते, जिससे पंचायती राज की भावना को धक्का लगता है।</p> <p>अयोग्य और लापरवाह कर्मचारियों :-पंचायती राज की संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, वेतन भत्ते अन्य सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले में अच्छी नहीं होती इसलिए वे प्रायः अयोग्य लापरवाह आलसी हो जाते हैं,जिससे प्रशासनिक कुशलता कम होती है।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>पंचायत समिति निम्नलिखित कार्य करती है :-</p> <p>कृषि व सिंचाई :-वह अपने ब्लॉक में खेती की उपज बढ़ाने के लिए अच्छे बीज खाद की व्यवस्था करती है वह लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण देती है, अपने क्षेत्र में हरी खाद प्रयोग करने की सिफारिश करना अधिक से अधिक भूमि को जोतने योग्य बनाना सिंचाई के साधन जुटाना, फलों में सब्जियों के उपज बढ़ाना देना आदि इसके कृषि संबंधी कार्य है।</p> <p>पशुपालन व मछली पालन:-पशुओं की नस्ल सुधारना उनके चिकित्सा का प्रबंध करना अच्छे चेहरे की व्यवस्था करना शुद्ध दूध जुटाना व मछली पालन के कार्य को प्रोत्साहित करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं।</p> <p>शिक्षा :- अब यह अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है इसके अलावा पंचायत समिति सूचना केंद्र युवक संगठन कृषक संघ महिला मंडल आदि की भी व्यवस्था करती है।</p> <p>स्वास्थ्य एवं सफाई :- यह स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से बीमारियों की रोकथाम पीके लगवाने पीने के लिए स्वच्छ पानी गांव में सफाई आदि का प्रबंध करती है यह चिकित्सालय परिवार नियोजन केंद्र प्रसूति गृहालय शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना और देखभाल करती है ॥</p> <p>प्रशासकीय कार्य :- पंचायत समिति अपने क्षेत्र की पंचायतन का निरीक्षण व उन पर नियंत्रण रखती है यह उन्हें आवश्यक आदेश व निर्देश दे सकती है यह सार्वजनिक हित में संपत्ति ग्रहण कर सकती है।</p>	6
38	<p>लोक सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं :-</p> <p>प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुचित मूल्यांकन :- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन करते समय प्रशिक्षक को कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि संगठन में पाठ्यक्रम की मात्रा,प्रमाण-पत्रों की संख्या और प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है।</p> <p>व्यवस्थापिका का असहयोग :- प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थापिकाएं असहयोगात्मक रवैया अपनाती हैं या तो प्रारूप तैयार ही नहीं करती और अगर करती भी हैं तो वह काफी विलंब से।</p> <p>उच्च स्तरीय प्रशासकों की उदासीनता:- कुछ ऐसे उच्च स्तरीय प्रशासक हैं जो प्रशिक्षण की तरफ जरा भी</p>	6

<p>ध्यान नहीं देते और इसे बेकार की चीज मानते हैं और वह संगठन में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी अपने मत का समर्थन करने के लिए दबाव डालेगा ।</p> <p>उचित समन्वय का अभाव :- प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लोक सेवकों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के मध्य उचित समन्वय नहीं हो पाता ।</p> <p>कार्य भार की अधिकता :- कर्मचारियों पर कार्य भार अधिक रहता है और उनके लिए प्रशिक्षण हेतु समय निकालना बहुत कठिन होता है । प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य को कोई अन्य कर्मचारी नहीं करता ।</p> <p>धन का अभाव :- यह भी देखने में आया कि कई बार प्रशिक्षण कार्यों के संचालन के लिए सरकार के पास धन का अभाव होता है । जिससे प्रशिक्षण के वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं ।</p> <p>सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या:- सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निश्चित करने की समस्या भी बड़ी विकट समस्या है ।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रशिक्षण का अर्थ :- एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रयत्न जिसके द्वारा कर्मचारी अपने कौशल, अपनी क्षमता एवं अपनी प्रतिभा में वृद्धि करता है। अन्य शब्दों में कहें तो ,जब एक दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में सशक्त करने का प्रयास किया जाता है ,तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं । प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है:-</p> <p>औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण:-</p> <p>औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है । इसमें वास्तविक रूप से तैयार किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम तथा व्याख्यान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं ,सामूहिक चर्चाएं, सम्मेलन कार्य ,परियोजनाएं आदि भी सम्मिलित होती हैं ।</p> <p>अल्पकालीन और दीर्घकालिक प्रशिक्षण :- प्रशिक्षण के ये दो प्रकार, प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर विभाजित हैं । प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु , सेवा के स्वरूप और सरकार की जरूरतों पर निर्भर करती है ।अगर पाठ्यक्रम कुछ सप्ताह अथवा महीने का है तो इसे कई महीने, वर्ष तक चलने वाले दीर्घकालीन प्रशिक्षण की तुलना में अल्पकालिक प्रशिक्षण कहा जाएगा ।</p> <p>प्रवेश पूर्व और सेवाकालीन और प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण :-किसी कर्मचारी या अधिकारी को सेवा या नौकरी में पद ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए तो उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं प्रवेश से पूर्व के प्रशिक्षण में नई भर्ती किए गए कर्मचारियों को सेवाओं के लिए तैयार करना होता है ।प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण सेवा में प्रवेश करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण से कर्मचारी व्यावसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनता है । ।</p> <p>केंद्रीय और विभागीय प्रशिक्षण :-जब किसी विशिष्ट विभाग द्वारा अपने निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर , अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ,तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है । इसका मुख्य केंद्र बिंदु विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है, लेकिन कई बार केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसे केंद्रीय प्रशिक्षण कहा जाता है।</p> <p>कार्य कुशलता एवं पृष्ठभूमि प्रशिक्षण :-पृष्ठभूमि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिकता और ज्ञान को व्यापक बनाना तथा कर्मचारियों को देश की सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान किया जाता है ,किन्तु जब इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट कार्य में कर्मचारियों को की दशा सुधारना होता है, तो इसे कार्यकुशलता प्रशिक्षण कहा जाता है,जिसमें विशेष कुशलता, तकनीकों आदि का ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है ।</p> <p>अधिविन्यास प्रशिक्षण:- इसमें नए प्रवेशियों को अपने संगठन के कार्यों , उसकी पद्धतियों , नियमों के बारे में जानना चाहिए । इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपने संगठन और उसकी कार्य पद्धतियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है ।</p>	6
---	---

